



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1005]

No. 1005]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2002/अग्रहायण 6, 1924

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2002/AGRAHAYANA 6, 1924

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2002

का.आ. 1238(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (दो सौ पैंसठवां संशोधन) नियम, 2002 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. वाणिज्य विभाग" उपशीर्षक के नीचे, मद IV और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"V. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र

22. विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों और विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में यूनियों के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निर्यात और आयात नीति, राजवित्तीय व्यवस्था, विनिधान नीति, अन्य आर्थिक नीति और विनियामक ढांचा है।"

आ.प.जै. अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति।

[फा. सं. 1/22/1/2002-मंत्रि.]

अतुल कौशिक, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2002

S.O. 1238(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

- (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixty-fifth Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "Ministry of Commerce and Industry (Vanijya Aur Udyog Mantralaya)", under the sub-heading "A. Department of Commerce (Vanijya Vibhag)", after item IV and the entries relating thereto, the following item and entry shall be added, namely:—

V. Special Economic Zones

22. All matters relating to development, operation and maintenance of special economic zones and units in special economic zones, including export and import policy, fiscal regime, investment policy, other economic policy and regulatory framework."

A.P.J. ABDUL KALAM
President.

[F. No. 1/22/1/2002-CAB.]
ATUL KAUSHIK, Dy. Secy.